न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/00041

जगन्नाथ पुत्र चुन्नीलाल आयु 60 वर्ष जाति लश्करी निवासी हनुवतखेडा नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. नगर विकास न्यास, कोटा जरिये सचिव ।
2. तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री एम0 एम0 केसरी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री शम्भूदयाल विजय, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 05.03.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.02.2021 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम हनुवतखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 02 की रकबा 0.40 हैक्टर भूमि स्थित है । जिस पर प्रार्थी का लम्बे समय से कब्जा चला आ रहा है । पूर्व में उक्त भूमि पर वादी के दादा गंगाराम काबिज काश्त थे । उक्त भूमि पर प्रार्थी का पिछले 45 वर्षों से अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है । उक्त भूमि राज्य सरकार द्वारा किसी भी संस्था को प्रार्थी को सुने बिना दर्ज करने का अधिकार नहीं है फिर भी उक्त भूमि नगर विकास न्यास के

खाते दर्ज कर दी गई जो गैर कानूनी है । प्रार्थी का लम्बे समय से कब्जा चला आ रहा है इसलिए उसे उक्त भूमि से अप्रार्थीगण को बेदखल करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी से प्रार्थी को ताकत के बल पर बेदखल नहीं करें तथा उक्त भूमि की किस्म चैंज नहीं करें तथा उक्त भूमि को अन्य व्यक्तियों को आवंटित नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अप्रार्थी कम 01 नगर विकास न्यास की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15.02.2021 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.02.2021 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का पिछले 45 वर्षों से कब्जा काश्त चला आ रहा है और प्रार्थी का लम्बे समय से सेटल पजेशन है तथा भूमि ग्रीन बैल्ट की है । उक्त भूमि बंजड दर्ज है तथा प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उक्त भूमि नगर विकास न्यास कोटा के खाते में दर्ज की गई है । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.02.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजी के बाबत् एक दावा पेश कर अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया था और यह कथन किया गया था कि ग्राम हनुवतखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 02 रकबा 0.40 हैक्टर भूमि स्थित है जिस पर अपीलान्ट प्रार्थी का लम्बे समय से कब्जा है । अपीलान्ट के पूर्वजों का भी इस पर कब्जा रहा है । 45 वर्षों से अपीलान्ट प्रार्थीगण इस पर काबिज है । वादग्रस्त आराजी की किस्म बंजड दर्ज है और वर्तमान में यह आराजी नगर विकास न्यास कोटा के खाते में दर्ज है । प्रार्थी को सुने बिना इस आराजी को नगर विकास न्यास के खाते में दर्ज कर दिया है जो गैर कानूनी है । प्रार्थी ने तावान एवं सिंचाई की रसीदें भी पेश की हैं जिससे उनका कब्जा पूर्णतया प्रमाणित है । अप्रार्थी इसकी किस्म परिवर्तन करके आवंटन करना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । प्रार्थी अपीलान्ट का वादग्रस्त आराजी पर सेटल पजेशन है । अतः

अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.02.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार नहीं हैं । वादी के द्वारा धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा पेश किया गया था जो मेन्टेनेबल नहीं है । इस कारण 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें कोई सहायता प्रदान नहीं की जा सकती । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.02.2021 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2071–74 के अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 02 रकबा 0.48 हैक्टर नगर विकास न्यास के खाते में दर्ज है । इसके अलावा पत्रावली पर कुछ खसरा परिवर्तनशील की नकलें और तावान की रसीदों की फोटो प्रतियॉ पेश की गई हैं ।

11. वादग्रस्त आराजी पत्रावली पर संलग्न राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार नगर विकास न्यास के खाते में दर्ज है जिसके बाबत् अपीलान्ट के द्वारा यह दावा पेश कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है । वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार रेस्पोडेन्ट हैं न कि अपीलान्ट । ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलान्ट के पक्ष में तय नहीं पाया जाता है । रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध कब्जे के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.02.2021 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 05.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

5/3/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा